

अपीलीय अधिकारी / सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय देहरादून।

संख्या- 827/XXV-12(14)/2018

दिनांक 05 जून 2023

सेवा में,

अपीलीय अधिकारी,  
राज्य निर्वाचन आयोग,  
निर्वाचन भवन, लाडपुर,  
मसूरी बाईपास, रिग रोड़, देहरादून।

महोदय,

अपीलकर्ता श्री वैभव कुमार अग्रवाल, पुत्र श्री सुशील कुमार अग्रवाल, नम्बरदार, धर्मकांटा, चुड़ियाला, रोड़, भगवानपुर, जिला हरिद्वार, का अपीलीय पत्र दिनांक 19/05/2023 इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा लोक सूचना अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-91/RTI/4105/2023 दिनांक 04 मई 2023 के द्वारा मांगी गयी अतिरिक्त शुल्क रू0 36.00 का नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर संलग्न करते हुए वर्णित सूचनाएं उपलब्ध कराने का उल्लेख किया गया है।

अतः अपीलकर्ता का उपरोक्त अपीलीय पत्र मय संलग्नकों सहित अपीलीय अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि उक्त अपीलीय पत्र के संदर्भ में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।


भवदीय,

  
(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं,  
विभागीय अपीलीय अधिकारी,

पु0संख्या- 827 /XXV-12(14)/2018 तददिनांकित।

श्री वैभव कुमार अग्रवाल, पुत्र श्री सुशील कुमार अग्रवाल, नम्बरदार, धर्मकांटा, चुड़ियाला रोड़, भगवानपुर, जिला हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि अतिरिक्त शुल्क की मांग लोक सूचना अधिकारी / सहायक आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा की गयी थी, तदनुसार आपका अपीलीय प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग को संदर्भित किया जा रहा है कि कृपया तदनुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिग रोड़, देहरादून, के कार्यालय में समन्वय स्थापित करने का कष्ट करें।

  
(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं,  
विभागीय अपीलीय अधिकारी,

y oc

सेवा में,

श्री मान विभागीय अपीलिए अधिकरी  
सहायक मुख्य निर्वाचन आधिकारी  
विश्वकर्मा भवन प्रथम तल  
सचिवालय परिसर 4, सुभाष रोड,  
देहरादून -248001

विषय- परमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त शुल्क

महोदय,

आपके पत्र संख्या 91 / RTI / 4105/2023 के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है मैंने जो छायाप्रति माँगी थी उसके लिये अतिरिक्त शुल्क की माँगी गई . जिसके संदर्भ में मैंने रुपए 36.00 का नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से प्रेषित कर रहा हूँ .

अत आपसे सादर प्रार्थना है की आप अनुरोध पत्र में वर्णित सूचनाएँ उपलब्ध करवाने की कृपा करे । आपकी महती अनुकंपा होगी।

संलग्न:

1. पत्रांक 91 / RTI / 4105/2023 ( कार्यालय लोकसूचना अधिकारी देहरादून)
2. रुपए 36.00 का नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प (IN-UK52832376295171V)
3. माँगी गई सूचना की प्रथम छायाप्रति

दिनांक - 19/05/2023

प्रार्थी  
*Vaibhav Agrawal*

वैभव अग्रवाल

पुत्र सुशील कुमार अग्रवाल

नम्बरदार धर्म कांटा

चुड़ियाला रोड भगवानपुर

जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

मो- 9737827913





सूचना का  
अधिकार

सत्यमेव जयते

## राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254

टैलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257

E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

पत्रांक-९१ / आर०टी०आई० / 4105 / 2023

दिनांक ०५ मई, 2023

“अतिरिक्त शुल्क के लिये सूचना”

श्री वैभव अग्रवाल,  
पुत्र श्री सुशील कुमार अग्रवाल,  
नम्बरदार धर्मकांटा, चुड़ियाला रोड़,  
भगवानपुर, जिला हरिद्वार।

अवगत कराना है कि लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-612 दिनांक 24.04.2023 के माध्यम से आपके सूचना के अनुरोध पत्र दिनांकित 17.04.2023 को वांछित सूचना आपको उपलब्ध कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग को अंतरित किया गया है, जो आयोग में दिनांक 26.04.2023 को प्राप्त हुआ है।

उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके सूचना अनुरोध-पत्र के बिन्दु संख्या-01 व 02 की सूचना से संबंधित कुल 18 पृष्ठ आयोग स्तर पर उपलब्ध/धारित हैं जिनकी प्रमाणित छायाप्रतियां उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित शुल्क ₹0 2.00 प्रति पृष्ठ की दर से कुल धनराशि ₹0 36.00 अतिरिक्त शुल्क देय होता है।

अतः सन्दर्भित अतिरिक्त शुल्क ₹0 36.00 लोक सूचना अधिकारी के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल आर्डर, ट्रेजरी चालान या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से प्रेषित करें अथवा कार्यालय में नकद जमा करें/करवा दें। अतिरिक्त शुल्क जमा करने से पूर्व यदि आप संबंधित प्रतियों/अभिलेखों का निरीक्षण/अवलोकन करना चाहते हैं, तो आप किसी भी कार्य दिवस में आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर सम्बन्धित प्रतियों/अभिलेखों का निरीक्षण/अवलोकन कर सकते हैं।

मांगी गई सूचना को उपलब्ध कराने सम्बन्धी कार्यवाही, उक्त अतिरिक्त शुल्क जमा करने के बाद ही प्रारम्भ होगी। इस पत्र की तिथि से अतिरिक्त शुल्क प्राप्त होने की तिथि तक का समय सूचना उपलब्ध कराने के लिये निर्धारित 30 दिनों में नहीं गिना जायेगा। यदि मांगी गई अतिरिक्त शुल्क की धनराशि आपको अत्यधिक लगती है तो उस अत्यधिक शुल्क के पुनर्विलोकन हेतु विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं:-

श्री प्रभात कुमार सिंह,  
उपायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।  
दूरभाष नं०-0135-2670998 मो० 7302254902

  
(राजकुमार वर्मा)  
सहायक आयुक्त/  
लोक सूचना अधिकारी।  
मो० नं०-7302254903



कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड, देहरादून- 248001  
Email id- ceo\_uttaranchal@eci.gov.in

फोन नं (0135) - 2713551

फैक्स नं (0135) -2713724,

संख्या- 615 / XXV- 53(P-14)/2021 देहरादून : दिनांक 24 अप्रैल, 2023

सेवा में,

श्री वैभव अग्रवाल,  
पुत्र श्री सुशील कुमार अग्रवाल,  
नम्बरदार धर्मकांड,  
चुडियाला रोड भगवानपुर,  
जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड मो0नं.-9837827913

विषय-  
महोदय

सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक आपके अनुरोध पत्र दिनांक 17.04.2023 जो इस कार्यालय में दिनांक 20.04.2023 को प्राप्त हुआ है, के बिन्दु संख्या-1, एवं 2 में वांछित बिन्दु से सम्बन्धित सूचना कार्यालय में धारित नहीं है।

इस आदेश के अन्तर्गत दी गयी जानकारी से यदि असंतुष्ट हो तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है अपील दायर कर सकते हैं:-

संलग्न-यथोपरि।

अपीलीय अधिकारी का पता  
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,  
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,  
सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड,  
देहरादून-248001

भवदीय,

*B. S. Rawat*  
(बसन्त सिंह रावत)

अनुभाग अधिकारी एवं  
लोक सूचना अधिकारी।



कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड़, देहरादून- 248001

Email id- ceo\_uttaranchal@eci.gov.in

फोन न० (0135) - 2713551

फैक्स न० (0135) -2713724.

संख्या- 612 /XXV- 53(P-14)/2021 देहरादून : दिनांक 24 अप्रैल, 2023

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातरण के लिए प्रपत्र सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी/सहायक आयुक्त  
राज्य निर्वाचन आयोग  
निर्वाचन भवन मसूरी बाईपास  
लाडपुर रोड़, देहरादून।

विषय- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।


महोदय

उपरोक्त विषयक श्री वैभव अग्रवाल, पुत्र श्री सुशील कुमार अग्रवाल, नम्बरदार धर्मकांटा, चुडियाला रोड़ भगवानपुर, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड का अनुरोध पत्र दिनांक 17.04.2023 जो इस कार्यालय में दिनांक 20.04.2023 को प्राप्त हुआ है, की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि अनुरोध पत्र में वांछित सूचनायें आपके कार्यालय से सम्बन्धित है।

अतः अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपको हस्तान्तरित किया जा रहा है। कृपया अनुरोधकर्ता को अपने कार्यालय से सम्बन्धित वांछित सूचना अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

  
(बसन्त सिंह रावत)  
अनुभाग अधिकारी एवं  
लोक सूचना अधिकारी।

पू0संख्या- 612 /XXV- 53(P-14) /2021 , तददिनांक।

प्रतिलिपि- श्री वैभव अग्रवाल, पुत्र श्री सुशील कुमार अग्रवाल, नम्बरदार धर्मकांटा, चुडियाला रोड़ भगवानपुर, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(बसन्त सिंह रावत)  
अनुभाग अधिकारी एवं  
लोक सूचना अधिकारी।



सेवा में

लोक सूचना अधिकारी/मुख्य चुनाव आयुक्त  
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

**विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचनायें उपलब्ध कराने के सम्बंध में ।**

महोदय,

अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि प्रार्थी को आपके कार्यालय से सम्बंधित निम्नलिखित सूचनाओं की आवश्यकतायें है ।

1. नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर महापालिका का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की पात्रता/योग्यता से सम्बंधित शासनादेश/विवरणिका की प्रमाणित छाया प्रति ।
2. नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर महापालिका का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार के बच्चों से सम्बंधित शासनादेश की प्रमाणित छाया प्रति ।
3. यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कानूनन एक बच्चें को दत्तक पुत्र/पुत्री के रूप में ग्रहण करता है तो वह बच्चा गोदनामा जोकि कानून का पालन कर रजिस्टर्ड कराया गया था वह बच्चा जैविक पिता के परिवार का सदस्य होगा या जिस पिता ने दत्तक पुत्र/पुत्री के रूप में उसे ग्रहण किया उस परिवार का सदस्य होगा ? कृपया उपरोक्त पुत्र/पुत्री की सदस्यता से सम्बंधित स्थिति की सूचना स्पष्ट करते हुए सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

नोट :-

1. 10 रुपये का स्टाम्प (स्टाम्प नं. IN-UK45505094452569V) संलग्नक है ।

दिनांक : 17-04-2023

प्रार्थी  
*Vaibhav Agrawal*

वैभव अग्रवाल

पुत्र श्री सुशील कुमार अग्रवाल

नम्बरदार धर्मकांटा, चुड़ियाला रोड़

भगवानपुर, जिला हरिद्वार, उ0ख0

मो0 : 9837827913

सेवा में

लोक सूचना अधिकारी/मुख्य चुनाव आयुक्त  
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

**विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचनायें उपलब्ध कराने के सम्बंध में ।**

महोदय,

अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि प्रार्थी को आपके कार्यालय से सम्बंधित निम्नलिखित सूचनाओं की आवश्यकतायें है ।

1. एक व्यक्ति अपने सगे भाई की लड़की जिसका जन्म 23 मार्च 2017 को हुआ दिनांक 9 जनवरी 2018 को दूसरे अविवाहित भाई द्वारा दत्तक पुत्री के रूप में अपनाया गया ।
2. जन्म प्रमाण पत्र में लड़की के जैविक पिता का नाम दर्ज है ऐसी स्थिति में उक्त लड़की जैविक पिता के परिवार का सदस्य होगी या दत्तक पिता के परिवार का सदस्य होगी ।

उक्त प्रकरण से सम्बंधित स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें । आपकी महती अनुकम्पा होगी ।

नोट :-

1. 10 रुपये का स्टाम्प (स्टाम्प नं. IN-UK45505754263116V) संलग्नक है ।

दिनांक : 17-04-2023

प्रार्थी

*Vaibhav Agrawal*

वैभव अग्रवाल

पुत्र श्री सुशील कुमार अग्रवाल

नम्बरदार धर्मकांटा, चुड़ियाला रोड़

भगवानपुर, जिला हरिद्वार, उ०ख०

मो० : 9837827913